

न्यायालय:श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला -बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक-880 / 2008

संस्थित दिनांक-26.12.2008

फाइलिंग क्र.234503000552008

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी भैंसानघाट,
वन मण्डला कान्हा टाईगर रिजर्व, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

परिवादी

विरुद्ध

1-राजेन्द्र वल्द गलीराम, उम्र-35 वर्ष,
निवासी-ग्राम गढ़ी, थाना गढ़ी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

2-संजय उर्फ संजू वल्द धरमसिंह दुलिया, उम्र-26 वर्ष,
निवासी-ग्राम गढ़ी, थाना गढ़ी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

3- सुरपत वल्द लिक्खन उम्र-29 वर्ष,
निवासी-ग्राम गढ़ी, थाना गढ़ी,
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आरोपीगण

निर्णय

(आज दिनांक-24/06/2016 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-27, 29, 31, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-51 के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-21.11.2008 को कान्हा नेशनल पार्क के कदला बीट के कक्ष क्रमांक-157 के तेली लोटन नामक स्थान पर कोर जाने के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में कुल्हाड़ी के साथ अवैध प्रवेश किया।

2- परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-21.11.2008 को कान्हा नेशनल पार्क के कदला बीट कक्ष क्रमांक-157 तेली लौटान नामक स्थान पर वन परिक्षेत्र के कर्मचारी गश्त कर रहे थे। जंगल में कुछ व्यक्ति बांस काट रहे थे, जिन्हें गश्तीदल द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया था और उनसे पार्क के अंदर प्रवेश करने व बांस काटने के अनुज्ञापत्र के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया। आरोपीगण से 19 नग हरे बांस एवं 3 नग कुल्हाड़ी बेंसा सहित जप्त की गई थी। आरोपीगण द्वारा जुर्म करना कबूल किया गया, जिस पर वन परिक्षेत्र भैंसानघाट द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध पी.ओ.आर.क्रमांक-2945/07, अंतर्गत, धारा-27, 29, 31, 35(6),(8) 50, 51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 के तहत पंजीबद्ध

किया गया। विवेचना के दौरान मौके का पंचनामा, जप्तीनामा, आरोपीगण के कथन, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-27, 29, 31, 35(6)(8) एवं सहपठित धारा-51 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-21.11.2008 को कान्हा नेशनल पार्क के कदला बीट के कक्ष क्रमांक-157 के तेली लोटन नामक स्थान पर कोर जाने के अंदर प्रतिबंधित क्षेत्र में कुल्हाड़ी के साथ अवैध प्रवेश किया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— एस.के. खरे (प.सा.5) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-21.11.2008 को भैंसानघाट परिक्षेत्र में परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उसके द्वारा बी.आर. तेकाम सहायक परिक्षेत्र अडवार को पी.ओ.आर. क्रमांक-2945/07, दिनांक-21.11.2008 की विवेचना करने निर्देश दिया गया था। जांच उपरांत उसके द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध परिवाद पत्र प्रदर्श पी-14 पेश गया था। जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। संलग्न दस्तावेजों पर काउन्टर हस्ताक्षर प्रदर्श पी-1 से लगायत प्रदर्श पी-13 के इ से इ भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्श पी-15 के माध्यम से दी गई थी, जिसके इ से इ भाग पर उसके प्रतिहस्ताक्षर हैं। आरोपीगण की गिरफ्तारी की सूचना थाना प्रभारी गढ़ी का दी थी, जिसकी कार्बन प्रति प्रदर्श पी-16 है, जिसके इ से इ भाग पर उसके प्रतिहस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी-1 लगायत प्रदर्श पी-13, 15, 16 उसके समक्ष तैयार किया गया था। साक्षी ने कहा है कि परिवादपत्र प्रदर्श पी-14 पर उसने हस्ताक्षर किये हैं।

6— गुलाबसिंह (प.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। कक्ष क्रमांक-15 पर आरोपीगण ने 19 नग हरे बांस काटे थे, जिनका मौकापंचनामा प्रदर्श पी-3 उसके द्वारा बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने

हस्ताक्षर किये थे। उसने पी.ओ.आर प्रदर्श पी-2 काटा था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। आरोपीगण से बांस की जप्ती कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 उसके द्वारा बनाया गया था, जिसके स से स भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपना बयान प्रदर्श पी-12 लिखकर दिया था, जिसके ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि किस आरोपी से कितनी संख्या में बांस जप्त किये गए थे, यह वह नहीं बता सकता। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि जप्ती की कार्यवाही रेंज ऑफिस में बैठकर की गई थी।

7— मेवन्त सिंह (प.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। तेली लेडान नामक स्थान पर आरोपीगण ने 19 नग बांस काटे थे। बांस तथा कुल्हाड़ी की जप्ती की गई थी। पंचनामा प्रदर्श पी-3 के ब से ब भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रदर्श पी-2 का पी.ओ.आर आरोपीगण के विरुद्ध काटा गया था। उसके समक्ष प्रदर्श पी-1 की जप्ती की गई थी, जिसके ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने प्रदर्श पी-10 का बयान दिया था, जिसके बी से बी भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने रेंज आफिस गढ़ी में प्रदर्श पी-1 और प्रदर्श पी-2 पर हस्ताक्षर किये थे। साक्षी ने यह भी कहा है कि जब प्रदर्श पी-1 व प्रदर्श पी-2 में उसने रेंज ऑफिस में हस्ताक्षर किये थे तब आरोपीगण भी मौके पर उपस्थित थे।

8— बुधराम तेकाम (प.सा.1) ने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है, उन्होंने कक्ष क्रमांक-157 में बांस काटे थे। उसने कुल्हाड़ी तथा बांस की जप्ती की कार्यवाही मौके पर की थी। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 के अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। पी.ओ.आर प्रदर्श पी-2 उसके समक्ष काटा गया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसके समक्ष मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया था और संजय, राजेन्द्र, सुरपत के बयान लिये गए थे, जो प्रदर्श पी-4, 5, 6 हैं, जिनके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये हैं। उसके द्वारा आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-7, 8, 9 तैयार किया गया था, जिनके अ स अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि उसने आरोपीगण के विरुद्ध मौके पर कार्यवाही नहीं की थी एवं झूठे दस्तावेज बनाए थे।

9— बाबूलाल (प.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कहा है कि घटना वर्ष 2008 की है। वह कुछ कागज लेकर गढ़ी गया था, इसके अतिरिक्त उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर

साक्षी ने इंकार किया कि दिनांक-21.11.2008 को कक्ष क्रमांक-157 में गश्ती के दौरान उसने घेराबंदी कर बांस काटने वाले तीन लोगों को पकड़ा था। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि उन लोगों ने अपना नाम राजेन्द्र, संजू, सुरपत बताए थे। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि आरोपीगण से 19 नग हरे बांस एवं कुल्हाड़ी जप्त की गई थी। साक्षी ने प्रदर्श पी-1, 2, 3 के स से स भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि वन विभाग वालों ने प्रदर्श पी-3 उसे पढ़कर नहीं सुनाया था। साक्षी ने यह भी कहा है कि वन विभाग वालों ने हस्ताक्षर करा लिये थे। परिवादपत्र के अनुसार आरोपीगण द्वारा कान्हा नेशनल पार्क के निषेधित कक्ष क्रमांक-157 में प्रवेश किया गया था। आरोपीगण द्वारा कुल्हाड़ी से हरे 19 नग बांस काटे गए थे, जिससे वन्य प्राणी के प्राकृतिक निवास नष्ट हुआ था। उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत अपराध प्रमाणित होने के लिए आवश्यक है कि आरोपीगण का कान्हा नेशनल पार्क के निषेधित क्षेत्र में पकड़ा जाना एवं उनके पास से उपरोक्त संपत्ति का जप्त होना युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जावे।

10- अभियोजन साक्षी एस.के. खरे (प.सा.5) ने कहा है कि उसने मात्र परिवादपत्र तैयार किया है, शेष कार्यवाही उसके समक्ष नहीं हुई थी। परिवादी साक्षी गुलाबसिंह प.सा.3 के द्वारा पी.ओ.आर प्रदर्श पी-2 काटा गया था। मौके पर जप्ती के विषय में प्रदर्श पी-1 तथा मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-3 की कार्यवाही की गई थी। परिवादी साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बिन्दु पर अखण्डित रहा है कि उसने उपरोक्त कार्यवाही रेंज ऑफिस में बैठकर नहीं की थी। साक्षी गुलाबसिंह (प.सा.3) के विपरीत मेवन्तसिंह (प.सा.2) ने कहा है कि उसने रेंज ऑफिस गढ़ी में प्रदर्श पी-2 में हस्ताक्षर किये हैं। साक्षी ने यह भी कहा है कि जब उसने रेंज ऑफिस के दस्तावेज में हस्ताक्षर किये थे तो आरोपीगण भी वहीं मौजूद थे। इस प्रकार की कार्यवाही किस स्थान पर की गई थी, यह संदेहास्पद है। प्रकरण में मात्र साक्षी बाबूलाल (प.सा.4) ने कहा है कि वह कागज लेकर गढ़ी गया था, इसके अतिरिक्त उसे घटना की जानकारी नहीं है। साक्षी ने आरोपीगण को कक्ष क्रमांक-157 में घेरकर पकड़ने से इंकार किया है। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपीगण से 19 नग हरे बांस तथा कुल्हाड़ी जप्त किये गए थे। साक्षी बाबूलाल (प.सा.4) का भी कहना है कि उसने वन विभाग वालों के कहने पर दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये थे। उपरोक्त स्थिति में जप्ती की कार्यवाही संदेहास्पद है तथा यह भी संदेहास्पद है कि आरोपीगण द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र कक्ष क्रमांक-15 में प्रवेश किया गया। ऐसी स्थिति में आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-27, 29, 31, 35(6)(8) एवं सहपठित

धारा-51 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है।

11— मामले में आरोपी राजेन्द्र व संजय दिनांक-21.11.2008 से दिनांक-24.11.2008 तक तथा आरोपी सुरपत 21.11.2008 से दिनांक-24.11.2008 तक एवं दिनांक-09.03.2015 से दिनांक-10.03.2015 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहें हैं, उक्त के संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

12— प्रकरण में आरोपीगण की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा 437 (क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेंगे।

13— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे तथा जप्तशुदा बांस वन विभाग द्वारा अपील अवधि पश्चात् विधि अनुसार निराकृत की जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

बैहर,
दिनांक-24.06.2016

सही /—
(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्र
(शासकीय / विधिक उपयोग)